प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 11.09.2025

थाना टीलामोड पुलिस टीम द्वारा दो पहिया वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही से चोरी की 03 मोटर साइकिल व 01 स्कूटी बरामद ।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 10/11.09.2025 को थाना टीलामोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त 1. ईशांत उर्फ पंडित पुत्र विकास शर्मा निवासी ए-ब्लॉक खजूरी थाना खजूरी दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष व 2. राजकुमार उर्फ झपट्टा पुत्र दशरथ सिंह निवासी कामना अपार्टमेन्ट सेक्टर 05 वैशाली थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को तुलसीनिकेतन दिल्ली बॉर्डर के पास से चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया तथा दोनों अभियुक्तों की निशानदेही से 02 मोटर साइकिल व 01 स्कूटी बरामद की गयी । गिरफ्तार अभियुक्त ईशांत उर्फ पंडित पुत्र विकास शर्मा व राजकुमार उर्फ झपट्टा पुत्र दशरथ सिंह उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2), 317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त ईशांत उर्फ पंडित पुत्र विकास शर्मा व राजकुमार उर्फ झपट्टा पुत्र दशरथ सिंह उपरोक्त मिलकर मोटर साइकिल चोरी करते है । चेकिंग के दौरान बरामद मोटर साइकिल को दोनों अभियुक्तों ने करीब 01 माह पहले हर्ष विहार द्वितीय से चोरी किया था । दोनों अभियुक्तों की निशानदेही से अन्य दो मोटर साइकिल व स्कूटी को टीलामोड व दिल्ली से चोरी कर तुलसीनिकेतन छात्रावास के पास छिपा दिया था । दोनों अभियुक्त चोरी की मोटर साइकिल और स्कूटी को बेचने की फिराक में थे कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. ईशांत उर्फ पंडित पुत्र विकास शर्मा निवासी ए-ब्लॉक खजूरी थाना खजूरी दिल्ली उम्र करीब 19 वर्ष ।
2. राजकुमार उर्फ झपट्टा पुत्र दशरथ सिंह निवासी कामना अपार्टमेन्ट सेक्टर 05 वैशाली थाना कौशाम्बी गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष ।

बरामदगी का विवरणः-

- चोरी की 03 मोटर साइकिल व 01 स्कूटी बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त ईशांत उर्फ पंडित पुत्र विकास शर्मा व राजकुमार उर्फ झपट्टा पुत्र दशरथ सिंह उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड पर चोरी व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 02 अभियोग, थाना इन्दिरापुरम व खोडा पर चोरी के सम्बन्ध में 01-01 अभियोग तथा दिल्ली में चोरी के सम्बन्ध में 03 अभियोग पंजीकृत है । कुल 07 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।
- गिरफ्तार अभियुक्त राजकुमार उर्फ झपट्टा पुत्र दशरथ सिंह उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड पर चोरी व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 02 अभियोग व दिल्ली में चोरी के सम्बन्ध में 03 अभियोग पंजीकृत है । कुल 05 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड पुलिस टीम ।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा बुधवार के दिन समस्त थानों पर 'वादी संवाद दिवस' आयोजित किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त गाजियाबाद के निर्देशन में जनता को त्वरित पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण न्याय दिलाने के उद्देश्य से कमिश्नरेट गाजियाबाद में **वादी संवाद नीति** लागू की गई है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बुधवार को सभी थानों पर **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया जाता है। जिसके क्रम में दिनांक 10.09.2025 को बुधवार के दिन कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थानों पर द्वितीय **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया गया।

वादी संवाद दिवस का उद्देश्य वादियों और पुलिस के बीच सार्थक संवाद स्थापित कर पारदर्शिता विश्वास एवं शीघ्र न्याय की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करना है। जिसके क्रम में विवेचनाधीन अभियोगों (एफ0आई0आर0/एन0सी0आर0) तथा गुमशुदगी से सम्बन्धित वादी को थाने पर आमंत्रित कर सम्बन्धित विवेचकों के साथ संवाद स्थापित करते हुए विवेचना की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति से अवगत कराते हुए वादियों के सभी प्रश्नों का उचित, तथ्यात्मक एवं संतोषजनक उत्तर देते हुए संतुष्ट किया गया तथा इस दौरान सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त भी अपने-अपने सर्किल के थानों पर उपस्थित रहे।

दिनांक 10.09.2025 को आयोजित किये गए वादी संवाद दिवस का जोन वार विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	जोन	संवाद हेतु थानों पर उपस्थित आये वादियों की संख्या
1.	नगर	144
2.	ट्रांस हिण्डन	124
3.	ग्रामीण	252
कुल कमिश्नरेट गाजियाबाद		**520**

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में **वादी संवाद दिवस** गाजियाबाद पुलिस की एक जन सरोकार आधारित पहल है इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वादी को अपने प्रकरण की सही जानकारी समय पर मिले एवं उन्हें न्याय की प्रक्रिया पर विश्वास और संतोष प्राप्त हो। यह नई पहल पुलिस व जनता के बीच आपसी सहयोग एवं विश्वास को और अधिक मजबूत करेगी। कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा जनकेन्द्रित पुलिसिंग के दृष्टिगत भविष्य में भी इसी प्रकार के नवाचार जारी रहेंगे।

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड में लूट की घटना कारित करने वाले 01 अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से एक कुण्डल पीली धातु, एक टकली पीली धात बटननमा, 5000/- रुपये, एक तंमचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटरसाईकिल बरामद।

घटना का विवरण:- दिनाक 03.09.2025 को वादी श्री कुलदीप सिंह पुत्र शिशुपाल सिंह नि० म०एन० 110 गली नं0 04 वर्धमानपुरम कालोनी मोरटा थाना मधुबन बापूधाम गाजियाबाद को एक अज्ञात बाईक सवार लुटेरे द्वारा वादी की माँ से बाजार जाते समय रास्ते से कान का कुण्डल छीनकर ले जाने के सम्बन्ध में वादी द्वारा लिखित तहरीर दी गयी। जिसके आधार पर थाना मधुबन बापूधाम पर दिनांक 04.09.2025 को मु0अ0स0 308/2025 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण: आज गश्त व चैकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर दुहाई बम्बा के पास आये पुलिस को आता देख एक सदिग्ध व्यक्ति मोटर साईकिल स्पेलेन्डर रंग काला पर सवार होकर भागा, कच्चे रास्ते मे जाकर फिसलकर मोटर साईकिल गिरने के साथ ही पुलिस फोर्स पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी, पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी जिसमें अभियुक्त साहिद पुत्र यासीन नि० ग्राम खडौली थाना ककरखेडा जनपद मेरठ उम्र करीब 32 वर्ष घायल हो गया। घायल को उपचार हेतु सयुक्त जिला चिकित्सालय संजय नगर गाजियाबाद भेजा गया है। अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पुछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो पूछने पर बताया कि दिनाक 03.09.2025 को मैं दोपहर मोरटा गाँव के पास कालोनी से एक महिला से रास्ते में पीछे से आकर कान का कुण्डल छीनकर ले गया था। आज मैं पुनः इस क्षेत्र में किसी दूसरी घटना को अन्जाम देने आया था पुलिस बल की सतर्कता के कारण घटना कारित करने से पहले ही पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

शाहिद पुत्र यासीन नि० ग्राम खडौली थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ उम्र करीब 32 वर्ष (घायल)

बरामदगी-

एक कुण्डल पीली धातु (02 टुकडो में)

एक पीली धातु टकली बटन नुमा

5000/-रुपये

एक तंमचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस 315 बोर

घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साईकिल

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त साहिद पुत्र यासीन उपरोक्त के विरुद्ध कमि० गाजियाबाद, कमि० गौ० बुद्धनगर, जनपद मेरठ के भिन्न भिन्न थानो पर कुल 13 अभियोग (चोरी व लूट) पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाले टीम -

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 49,331/- रुपये की धनराशि वापस करायी गई।

आज दिनांक 11.09.2025 को साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदिका यशोदा देवी निवासी सुदामापुरी थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल धनराशि रु 49,331/- आवेदिका को वापस कराये गये।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदिका यशोदा देवी के साथ 49,331/-रुपये की ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए आवेदिका के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को सम्बधित मर्चेन्ट से पत्राचार व अन्य प्रयासों के बाद आज दिनांक 11/09/2025 को आवेदिका के साथ हुई साइबर फ्रॉड की कुल 49,331/- रुपये की धनराशि को वापस कराया गया। आवेदिक द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम

साइबर सेल टीम, थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 20.06.2025 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष को बहला फुसलाकर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अपहर्ता की बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा अपहर्ता को बरामद किया गया तथा अपहर्ता/पीडिता के धारा 181 व 183 बीएनएसएस के बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त 1.जीशान पुत्र कमरुद्दीन निवासी अशोक विहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष 2. सोनू पुत्र कमरुद्दीन निवासी अशोक विहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष के नाम प्रकाश में आये तथा उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त जीशान के विरूद्ध धारा 61(2)/65(1) बीएनएस व धारा ¾(2) पोक्सो एक्ट व अभियुक्त सोनू के विरुद्ध धारा 61(2) बीएनएस व 16/17

पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी तथा प्रकाश में आये अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 11.09.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त 1.जीशान पुत्र कमरुद्दीन निवासी अशोक विहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष 2. सोनू पुत्र कमरुद्दीन निवासी अशोक विहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष को थाना लोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त जीशान ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों सगे भाई हैं। मेरी वादी की पुत्री से कई महीनों से बातचीत थी। दिनांक 19.06.2025 को मैं वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था और मौका पाकर मैंने वादी की पुत्री के साथ शारीरिक संबध भी बना लिये थे। इस सब में मेरा भाई सोनू मेरी मदद करता रहा, सोनू ही मुझे खर्च के लिए पैसे भेजता था। सोनू को इस सारी घटना की जानकारी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.जीशान पुत्र कमरुद्दीन निवासी अशोक विहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।

2. सोनू पुत्र कमरुद्दीन निवासी अशोक विहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 33 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना वेवसिटी पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 02 मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 09.09.2025 को थाना वेवसिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के 02 मोबाइल फोन चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वेवसिटी पर सुसंगत धारा 305(A) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 11.09.2025 थाना वेवसिटी पुलिस द्वारा उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1.नीरज कुमार पुत्र मोहन लाल निवासी प्रताप विहार वाले पुल के नीचे झुग्गी झोपडी थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष 2.इरशाद पुत्र दिलशाद निवासी मनिहारो वाली गली कैलाखेडा थाना विजयनगर गाजिययाबाद उम्र करीब 32 वर्ष को थाना वेवसिटी क्षेत्र आदित्य वर्ल्ड सिटी से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी किये गये 02 मोबाइल फोन बरामद हुये। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि यह 02 मोबाइल फोन हमने शाहपुर बम्हैटा के पास एक घर से मौका पाकर चोरी किये थे। आज हम इन मोबाइल को बेचने की फिराक में निकले थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.नीरज कुमार पुत्र मोहन लाल निवासी प्रताप विहार वाले पुल के नीचे झुग्गी झोपडी थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

2.इरशाद पुत्र दिलशाद निवासी मनिहारो वाली गली कैलाखेडा थाना विजयनगर गाजिययाबाद उम्र करीब 32 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी के 02 मोबाइल फोन बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना वेवसिटी पर उक्त चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार/ बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना वेवसिटी पुलिस टीम।

रोड सेफ्टी बूट कैंप युवाओं को सड़क सुरक्षा का संकल्प
एवं नो हेलमेट-नो फ्यूल (No Helmet - No Fuel) अभियान के अंतर्गत कार्यवाही

पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद महोदय के निर्देशानुसार, कमिश्नरेट गाजियाबाद में त्रिगुना द साइंस ऑफ लिविंग, नई दिल्ली एवं आवास माइक्रो फाइनेंस के संयुक्त तत्वावधान में काइट इंजीनियरिंग कॉलेज, मुरादनगर (गाजियाबाद) में "Ride Wise, Stay Safe & Road Safety" के अंतर्गत एक रोड सेफ्टी बूट कैंप का आयोजन किया गया।

इस विशेष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों का पालन, सड़क सुरक्षा के महत्व एवं हेलमेट/सीट बेल्ट के नियमित प्रयोग के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम के दौरान त्रिगुना द साइंस ऑफ लिविंग, नई दिल्ली एवं आवास माइक्रो फाइनेंस की टीम के साथ साथ अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात ने सड़क दुर्घटनाओं के कारणों एवं उनके रोकथाम के उपायों पर मुख्य रूप से प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएँ केवल यातायात नियमों की अनदेखी के कारण होती हैं। यदि हर नागरिक जिम्मेदारी के साथ वाहन चलाएं और नियमों का पालन करें तो इन दुर्घटनाओं पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है। छात्र/छात्राओं को सड़क पार करते समय सावधानी बरतने, हेलमेट/सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने, तेज रफ्तार एवं लापरवाही से वाहन न चलाने, मोबाइल फोन का वाहन चलाते समय प्रयोग न करने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रशिक्षित किया गया। सड़क सुरक्षा की इस मुहिम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए त्रिगुना द साइंस ऑफ लिविंग, नई दिल्ली एवं आवास माइक्रो फाइनेंस द्वारा कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं को कुल 170 हेलमेट निःशुल्क वितरित किए गए।

कार्यक्रम में अपर पुलिस उपायुक्त यातायात, यातायात निरीक्षक, त्रिगुना द साइंस ऑफ लिविंग, नई दिल्ली एवं आवास माइक्रो फाइनेंस के पदाधिकारी गण, काइट इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षक गण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ मौजूद रहे। सभी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे रोड सेफ्टी बूट कैंप युवाओं को जागरूक करने और सड़क सुरक्षा को जन-आंदोलन बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं।

इसके अतिरिक्त दिनांक 01-09-2025 से प्रचलित नो हेलमेट-नो फ्यूल (No Helmet - No Fuel) अभियान के अंतर्गत आज पुनः अपर पुलिस उपायुक्त-यातायात, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी गाजियाबाद, जिला पूर्ति अधिकारी गाजियाबाद, समस्त सहायक पुलिस आयुक्त-यातायात, समस्त यातायात निरीक्षक गणों के द्वारा गाजियाबाद के विभिन्न पेट्रोल पम्पों पर दो पहिया वाहन चालकों को सड़क दुर्घटना में हेलमेट की महत्वता के सम्बन्ध में जागरूक करते हुए बिना हेलमेट के दो-पहिया वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित की गयी। पेट्रोल पंप स्वामी एवं कर्मचारियों को बिना हेलमेट किसी भी दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल न दिए जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया, यदि कोई पेट्रोल पम्प स्वामी उपरोक्त नियमों का उल्लंघन कर किसी भी दो-पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल देते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी गाजियाबाद, को पत्राचार किया किया जायेगा। **अभी तक उक्त अभियान के अंतर्गत बिना हेलमेट के कुल 13,411 दो पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की जा चुकी है।**

यातायात पुलिस दो पहिया वाहन चालकों से अनुरोध करती है, कि स्वयं तथा अपने परिवार की सुरक्षा हेतु अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनें।